न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R-1332-II/14

1. लोकनाथ
2. भूरा
3. नानदानी
4. शिवकरण उर्फ कुम्भकरण

— सभी पिता सुग्रीव महरा

5. मुसा0 फागुनी
6. मुसा0 तिजिया

— दोनो पत्नी सुग्रीव महरा

सभी निवासी ग्राम मलैंया तहसील जैतपुर जिला–शहडोल (म0प्र0)

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रामस्वारथ पिता गया सिंह गोंड सा0 मलैया तहसील जैतपुर जिला–शहडोल (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन .... उत्तरवादीगण

क्रमांक 1201 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज 9-4-14 को प्राप्त 9-4-14 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व निगरानी
विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल केशवाही तहसील जैतपुर जिला शहडोल (म0प्र0) राजस्व प्रकरण क्रं. 1/31–12/2013–14 आदेश दिनांक 09.01.2014 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0

मान्यवर,

मामले का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि अना0/उत्त0 क्रं. 1 द्वारा अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक के समक्ष ग्राम मलैया की आराजी खसरा नं. 1357 रकवा 1.364 हे. के सीमांकन के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें स्वयं राजस्व निरीक्षक द्वारा भूमि का सीमांकन कार्य करने के लिए दिनांक 11.12.2013 को मौके पर जाकर निगरानीकर्तागण को सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा भूमि की सही पैमाईश बंदोबस्ती चिन्हो से न की जाकर गलत व अवैध पैमाईश उत्तरवादी को नजायज लाभ देने के लिए किया जाता रहा है तब निगरानीकर्तागण द्वारा आपत्ति की गई कि उनकी आराजी खसरा नं. 1358 को क्यों उत्तरवादी की भूमि बताकर नाप कर रहे है तब उनके द्वारा सीमांकन की कार्यवाही बंद की जाकर पुलिस बल के लिए लेख किया गया और उसके पश्चात् पुलिस बल की मौजूदगी में निगरानीकर्तागण को डरा–धमकाकर दिनांक 25.12.2013 को पुनः सीमांकन नियमों के विपरीत अवैध नाप–जोख की गई। भूमि की नाप करते समय निगरानीकर्तागण द्वारा मौके से आपत्ति भी की गई कि जिस भूमि को अनावेदक की बताई जा रही है वह निगरानीकर्तागण की आराजी खसरा नं. 1358 का अंश भाग है जिसमें निगरानीकर्तागण का पुस्तैनी माकान है और वे कब्जा में चले आ रहे है लेकिन राजस्व निरीक्षक द्वारा निगरानीकर्तागण की आपत्ति के बाद भी अपने द्वारा किए गए गलत व अवैध सीमांकन जिसमें अना0

--2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1332–दो/14 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–2–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल केशवाही तहसील जैतपुर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 1/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 09–1–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रकरण के साथ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 ने स्वयं की भूमि के सीमांकन आवेदन प्रस्तुत करने पर राजस्व निरीक्षक ने सीमावर्ती कृषकों को सूचना देने के उपरांत दिनांक 11–11–13 को किये गये सीमांकन की पुष्टि आदेश दिनांक 09–1–14 से की गई है। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण में आई आपत्ति का निराकरण भी किया है। यदि आवेदकगण उक्त सीमांकन से व्यथित हैं तो अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र हैं। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	